

न्यायालय जिला कलक्टर करौली
पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

— प्रार्थी

बनाम

1. हरीमोहन पुत्र बद्री जाति तमोली निवासी उपरैला (भावली) तहसील मासलपुर
2. गौमती बेवा बद्री (फौत-नाम हजफ)
3. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मासलपुर

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-21.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 2150/3 रकबा 0-06 बीघा ग्राम उपरैला (भावली) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 2150 रकबा 3-01 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 तक के नामांतरण संख्या 618 किस्म बारानी-3 श्री बद्रीप्रसाद पुत्र शंकर जाति तमौली उपरैला(भावली) के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 तक में उपरोक्त भूमि श्री हरिमोहन पुत्र बद्री गौमती बेवा बद्री जाति तमौली निवासी उपरैली (भावली) हिस्सा हरिमोहन का रहन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मासलपुर मूर्तहिन बिलकब्ज दर्ज है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 2150/3 रकबा 0-06 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु.पोखर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2071-74, नामांतरकरण संख्या 618 दिनांक 15.07.1977 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।


अप्रार्थी संख्या 1 वकालतन उपस्थित हुआ जिसने जवाब पेश न कर सीधे बहस करना चाहा। साथ ही अपने हिस्से की भूमि का बैंक से रहन मुक्त होने का प्रमाण पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने एवं उसके वारिस के पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हजफ किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना ना तो उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस के दौरान बताया कि उसके पिता को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार भूमि का नियमन किया गया है। मौके पर कोई नाला नहीं है। भूमि काश्ता है। भूमि बैंक से रहन मुक्त हो गई है। अंत में रेफरेन्स प्रकरण को खारिज फरमाने का कथन किया है।


बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।


जिला कलक्टर
करौली

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 2150 रकबा 3-01 बीघा गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरण संख्या 618 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2150/3 किस्म बारानी-3 रकबा 0-06 बद्रीप्रसाद पुत्र शंकर जाति तमौली उपरैला(भावली) के नाम दिनांक 15.07.1977 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं० 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 2150/3 किस्म बारानी-3 रकबा 0-06 हरिमोहन पुत्र बद्री गौमती बेवा बद्री जाति तमौली निवासी उपरैली (भावली) हिस्सा हरिमोहन का रहन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मासलपुर मूर्तहिन बिलकब्ज तहसील मासलपुर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. पोखर दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी०बी० सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम उपरैला (भावली) की आराजी खसरा नंबर 2150/3 रकबा 0-06 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. पोखर दर्ज करने अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)

जिला कलक्टर

करौली